dk;ky; mjbl fodkl ikf/kdj.k] mjbl

परिचय – उरई नगर झांसी मण्डल में झांसी के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है तथा जालौन जिला का मुख्यालय है। उरई नगर अब तक एक वाणिज्यिक केन्द्र एवं प्रशासनिक केन्द्र के रूप में विकसित होता रहा। यह नगर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–25 पर स्थित है तथा रेलवे मार्ग से जुड़ता है। उरई नगर पालिका एवं उसके आस–पास के 17 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये विनियमित क्षेत्र वर्ष 1986 में घोषित किया गया था। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में शासनादेश सं0 1555/आठ–6–2006–2 गठन/2006 दिनांक 21 जून, 2006 के द्वारा उरई नगर पालिका सहित 34 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये उरई विकास प्राधिकरण की घोषणा की गयी है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उरई नगर की जनसंख्या 139318 है तथा ग्रामों की जनसंख्या 31951 है। कुल विकास क्षेत्र की जनसंख्या 171269 है तथा क्षेत्रफल 21617.28 हेक्टेयर है। उरई विकास के लिये शासन की अधिसूचना सं0 1920/आठ–6–2006–2/गठन/2006

लखनऊ दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा उरई विकास प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया गया।

iLrko l0&1

उरई विकास क्षेत्र की नई महायोजना तैयार करने के सम्बन्ध में।

उरई विकस क्षेत्र के लिये नई महायोजना तैयार की जानी है। दिनांक 06.06.07 की बोर्ड बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त उरई महायोजना तैयार करने हेतु उरई विकास क्षेत्र के सैटेलाइट इमेजरी एन0आर0एस0ए0 हैदराबाद से प्राप्त कर डिजीटाइजेशन आदि का कार्य निजी संस्था से करवाये जाने का निर्णय लिया गया था।

iLrko l0&2

स्टाम्प फीस से आय के सम्बन्ध में।

iLrko l0&3

आवासीय योजना क्रियान्वित करने हेतु भूमि के चयन के सम्बन्ध में।

iLrko l0&4

विकास शुल्क एवं सुदृढ़ीकरण शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

vU; fcUn

उक्त के सम्बन्ध में नेशनल रिमोट सेसिंग एजेंसी बालानगर हैदराबाद को सैटेलाइट इमेजरी हेतु 127,116.00 (एक लाख सत्ताइस हजार एक सौ सोलह रूपये मात्र) की धनराशि भेजी जा चुकी है।

उरई विकास प्राधिकरण को अन्य विकास प्राधिकरण के तहत स्टाम्प फीस से होनी वाली आये का 2 प्रतिशत उरई विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जा रही है।

आवासीय योजना क्रियान्वित करने हेतु शासनादेशानुसार भूमि चयन हेतु समिति का गठन कर लिया गया है। नियमानुसार कार्यवाही चल रही है।

उरई विकास प्राधिकरण में विकास शुल्क 50/– रू0 प्रति वर्ग मीटर एवं सुदृढ़ीकरण 31.20 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आच्छादित क्षेत्रफल पर बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ली जा रही है।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6 के पत्र सं0 2539/आठ–6–2006–2–

गठन–2006 द्वारा सृजित सहायक नगर नियोजक के पद पर जब तक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6 से नियमित तैनाती इस कार्यालय हेतु नहीं हो जाती है तब तक सहयुक्त नियोजक संभागीय नियोजन खण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग झांसी को अपने कार्यों के अतिरिक्त उरई विकास प्राधिकरण के कार्यों को सम्पादित करने हेतु बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया।